बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(152)

न्यायालय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्र. सन् - 2018

निगरानी-3689/2018/छतरपुर/भू.रा.

1. मन्ना लाल खरे तनय स्व. गोरेलाल खरे निवासी अरविन्द्र आश्रम के पास नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. राजेन्द्र कुमार खरे
3. राजेश कुमार खरे पुत्रगण स्व गोरेलाल खरे निवासीगण ग्राम गलान तहसील नौगांव जिला छतरपुर म.प्र. ....आवेदकगण

बनाम्

1. इस्लाम खां तनय इदारत खांन निवासी नये थाने के सामने हरपालपुर जिला छतरपुर म.प्र.
2. शासन म.प्र. द्वारा तहसीलदार नौगांव...अनावेदकगण

निगरानी व नाराजगी न्यायालय तहसीलदार नौगांव जिला छतरपुर म.प्र. के सीमांकन प्र.क. 15 अ-12/2017-18 आदेश दिनांक 31.05.2018 के विरूद्ध

म.प्र. भू-रा.सं. 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत

महोदय,

आवेदकगण सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते है कि :-

(1) यह कि भूमि खसरा नं. 1070/1 स्थित मौजा गलान तहसील नौगांव जिला छतरपुर म.प्र. पूर्व में रामभरोसे, एवं डालचंद्र पुत्रगण स्व. सुदामा प्रसाद खरे निवासीगण छतरपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थीं। उक्त भूमि का सीमांकन रामभरोसे, डालचंद्र द्वारा तत्कालीन तहसीलदार महोदय नौगांव के आदेशानुसार प्र.क्र. 23/अ-12/10-11 आदेश दिनांक 15.06.2017 के अनुसार कराया गया था।

(2) यह कि अनावेदक इस्लाम खांन ने उपरोक्त सीमांकन के अनुसार मौके पर स्थापित सीमा चिन्ह के अवलोकन पश्चात् उक्त भूमि तत्कालीन विक्रेता रामभरोसे व डालचंद्र से क्रय की थी। अनावेदक इस्लाम खांन ने उक्त् भूमि क्रय करने के उपरांत पुन: भूमि ख.नं. 1070/1 स्थित मौजा गलान तहसील नौगांव जिला छतरपुर म.प्र. का तत्कालीन तहसीलदार नौगांव के प्र.क्र. 1/अ-12/13-14 आदेश दिनांक 30.10.2013 के अनुसार सीमांकन कराया गया था इस सीमांकन में भी पूर्व सीमांकन के समय स्थापित सीमा चिन्हों के अनुरूप अधिकारियों द्वारा नाप की गयी थी। अनावेदक उक्त दोनों सीमांकन कार्यवाही से संतुष्ट रहा तथा अनावेदक द्वारा दिनांक 30.10.2013 को सीमांकन पंचनामा पर संतुष्टि के हस्ताक्षर है। अनावेदक द्वारा अथवा पूर्व विक्रेता द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3689/2018/छतरपुर/भू.रा. मुन्ना विरूद्ध इस्लाम खां व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार नौगांव के प्रकरण क्रमांक 15/अ-12/2017-18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 31-05-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 18.1.19 (आर.के. जैन) सदस्य	